सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-374/प्रेसनोट/2020 दिनांकः- 16 सितम्बर 2020

प्रेस विज्ञप्ति

थाना महराजगंज

हत्या के आरोप में वांछित 25 हजार रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त शंकर उर्फ रमाशंकर यादव पुत्र दसई यादव ग्राम महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवाँ) थाना महराजगंज आजमगढ़ द्वारा अपने सहयोगी अभियुक्तो द्वारा अपहृत देवनाथ पुत्र सीताराम सा0 महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवां) को दि0 04.09.20 को अपने साढ़ू चौधरी यादव के यहां से ले जा कर टेकनपुर थाना क्षेत्र रौनापार में अपहृत देवनाथ का गला गमछे से कस कर गला घोट कर मार कर बंधे के पानी में साक्ष्य छिपाने के लिए डुबा देना। जिसका शव दि0 06.09.2020 को थाना रौनापार के पुलिस द्वारा बरामद हुआ । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-183/2020 धारा 302,364,201 भादवि बनाम 1. चौधरी यादव पुत्र केदार यादव, ग्राम बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़, 2. चौधर यादव के घर के लड़के ग्राम बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़, 3. शंकर यादव पुत्र दसई यादव निवासी ग्राम महाजी देवारा जदीद जमुनिहवाँ, थाना महराजगंज आजमगढ़ 4. शंकर यादव के साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.09.20 को प्रभारी निरीक्षक महराजगंज देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन करता हुआ शिवशंकर मोड़ पर मौजूद था उसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि मु0अ0सं0 183/2020 धारा 302,364,201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शंकर यादव उर्फ रमाशंकर पुत्र स्व0 दसई यादव ग्राम महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवाँ) थाना महराजगंज आजमगढ़ इस समय कटान बाजार होकर सरदहा होते हुए कहीं भागने की फिराक मे है । सूचना पर पुलिस बल द्वारा ग्राम कटान बाजार से पहले गन्ने के खेत के पास अभियुक्त का इंतजार करने लगे कि कुछ देर बाद एक मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया । उक्त मोटर साइकिल के नजदीक आने पर एक बारगी घेरकर व्यक्ति को समय 07.20 बजे गिरफ्तार किया गया । नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शंकर यादव उर्फ रमाशंकर पुत्र स्व0 दसई यादव ग्राम महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवाँ) थाना महराजगंज आजमगढ़ बताया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में ही अभियुक्त चौधरी यादव एवं अभियुक्त शंकर यादव पर 25-25 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया था। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त पूछताछ पर अपनी गलती की माँफी मांगते हुए बता रहा है कि दिनांक 04.09.2020 को मेरे साढ़ू चौधरी यादव के लड़के नीरज ने मुझे फोन से बताया कि देवनाथ पुत्र सीताराम मेरे घर पर प्रिन्सा (मेरी लड़की) के साथ घर में ग्राम बरियारपुर मे पकड़ा गया है आप जल्दी आ जाइए तब मै बंधे से अपनी मोटर साईकिल लेकर ग्राम बरियारपुर अपने साढ़ू के यहाँ गया जहाँ पर मेरे साढ़ू चौधरी यादव, उनका लड़का नीरज , लल्लू पुत्र प्रेम यादव निवासी ग्राम अमानी हैदराबाद थाना रौनापार , जितेन्द्र पुत्र श्रवण यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ तथा नीरज के 02 दोस्त जिनका नाम-पता मै नही जानता , मौजूद थे। वहाँ पर मेरे ही गाँव के देवनाथ निषाद पुत्र सीताराम निषाद जो आशनाई के चक्कर मे मेरी लड़की प्रिन्सा से मिलने रात मे मेरे

साढ़ू के यहाँ गया था उसका हाथ बांधा गया था मै सोचा कि अब पानी सर से ऊपर बढ़ गया है। मै अपनी लड़की प्रिन्सा की शादी पहले तय कर दिया हूँ , अब यह लड़का देवनाथ मेरी इज्जत बरबाद कर दिया तब मेरे साढ़ू चौधरी यादव , उनका लड़का नीरज, लल्लू पुत्र प्रेम यादव निवासी ग्राम अमानी हैदराबाद थाना रौनापार , जितेन्द्र पुत्र श्रवण यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ तथा नीरज के 02 दोस्त मिलकर आपस मे तय किये कि रात का समय है कोई जान नही पायेगा , इसका काम तमाम कर देते हैं तब हम लोग सभी लोग मिलकर मोटर साईकिल से ले जाकर देवनाथ को टेकनपुर थाना क्षेत्र रौनापार बंधे पर ले गये तथा बंधे पर ही देवनाथ निषाद को पटककर हाथ पैर दबाकर गले मे गमछे से कसकर खींच कर मार डाले . जब देवनाथ का हाथ पैर स्थिर हो गया , हम लोगों को लगा कि अब यह मर गया है तब हम सभी लोग मिलकर बंधे के नीचे पानी मे डूबो दिये। अब हम लोगो से गलती तो हो गयी है , मै आज भागने के लिए जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया।

चूँकि घटना मे सभी अभियुक्तों का समान आशय होना पाया जा रहा है। अतः मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त नीरज पुत्र चौधरी यादव सा0 बरियारपुर थाना महराजगंज , लल्लू पुत्र प्रेम यादव निवासी ग्राम अमानी हैदराबाद थाना रौनापार, जितेन्द्र पुत्र श्रवण यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ तथा नीरज के 02 दोस्त नाम पता अज्ञात को प्रकाश मे लाया जाता है तथा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 34 IPC की बढ़ोत्तरी की जाती है ,तथा बरामद मोटर साईकिल को जो मुकदमा उपरोक्त मे प्रयुक्त हुई है के सम्बन्ध मे कागजात तलब किया गया नही दिखा सका जिसे अन्तर्गत धारा 207 MV ACT व उपरोक्त मुकदमे मे कब्जा पुलिस मे लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

शंकर यादव पुत्र दसई यादव ग्राम महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवाँ) थाना महराजगंज आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 183/2020 धारा 364, 302, 201, 34 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1 मु0अ0सं0-183/2020 धारा 364, 302, 201, 34 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

2 मु0अ0सं0-124/19 धारा 323, 452, 504 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी

घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल

फरार अभियुक्तगण

1. चौधरी यादव पुत्र केदार यादव, ग्राम बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़

2. नीरज पुत्र चौधरी यादव सा0 बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़

3. लल्लू पुत्र प्रेम यादव निवासी ग्राम अमानी हैदराबाद थाना रौनापार आजमगढ़

4. जितेन्द्र पुत्र श्रवण यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

5. नीरज के 02 दोस्त नाम पता अज्ञात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

SHO देवेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 रमेश कुमार व हे0का0 उमाकान्त यादव व का0 रणजीत सिंह